217

18

कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2018

निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1555

1 संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा

2. नीरज शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा निवासीगण–वार्ड कमांक–8, लालाजीपुरा, लटेरी, तहील लटेरी जिला विदिशा (म.प्र.)

3 श्रीमती हरीबाई पत्नी घनश्याम, निवासी–ग्राम प्यासी, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा हाल मुकाम–लटेरी,

4 श्रीमती शशि बाई पत्नी श्री निरंजन सिंह, निवासी–आनंदपुर रोड, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)

5 श्रीमती सरजू बाई पत्नी श्री जवाहर लाल साहू, निवासी–मदुसुदनगढ़ रोड, लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)

-----**आवेदकगण**

बनाम

श्रीमती अलका बाई पत्नी श्री कालूराम, मीना, निवासी–मदुसुदनगढ़ रोड, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)

-----**अनावेदक**

राजस्व निरीक्षक मण्डल लटेरी द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–12/2016–17 में सीमाकंन कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 16/05/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

श्री विनोद भार्गव, अधि. द्वारा आज दिनांक 5/3/18 को प्रस्तुत
c.f. 20/3/18
5/3/18

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
05-03-2018

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1555

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	